शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 29/जी0आई0-231/52-1-2014-01(132)/13

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक 24 जून, 2014**

विषय- 12वीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड-खुनियांव के ग्राम पजोहा में राजकीय इण्टर कालेज भवन का निर्माण एवं विकास खण्ड-बढनी के ग्राम करूआ में राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ् लेने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या - 3/19(20)/2012-पी0पी0, दिनांक 30.09.2013 से उक्त योजनाओं हेतु कुल लागत रू0 630.00 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 472.50 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 2,36,26,000/- (रू0 दो करोड छत्तीस लाख छब्बीस □□□□ मात्र) एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्य श रू0 78.75,000/- (रू0 अट्ठहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र) अर्थात् कुल रू0 3,15,01,000/-(रू0 तीन करोड पन्द्रह लाख एक हजार मा) □□□□ □□ लिए मात्र वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित बजट रू0 7820.00 □□□ के सापेक्ष पारित 04 □□□ □□ लेखानुदान में से रू0 315.01 □□□ अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यप□□ □□□□□ निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के□अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

विकास खण्ड-खुनियावं लाख में)											(रू0
क्र0	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□ □□□□	□□□ अनुमोदित केन्द्रांश	□□□ राज्यांश	□□□□ □□□□ द्वारा प्रायोजना	□□0□□0□0डी0 द्वारा आंकलित □□□□	अवमुक्त प्रथम किश्त		अवमुक्त □□□ □□□□□ (□□0 / □□0)
									केन्द्रांश	राज्यांश	

http://shasanadesh.up.nic.in

							की स्वीवृ□ □□□				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सिद्धार्थ □□□	ग्राम □□□□ में राजकीय इण्टर □□□ □□ □□□ निर्माण	01	315.00	236.25	78.75	315.00	306.67	118.13	39.375	157.505
विकास खण्ड-□□□□											
2	,,	ग्राम करूआ में राजकीय इण्टर □□□	01	315.00	236.25	78.75	315.00	306.67	118.13	39.375	157.505
		□□	02	630.00	472.50	157.50	630.00	613.34	236.26	78.75	315.01

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृ□□, यदि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक □□, प्राप्त क□□□ ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्ती□ नियमों का पालन किया जायेगा।

2- अवमुक्त □□□□□ □□□□, अल्पसंख्यक कल्य □, □0प्र0 लखनऊ द्वारा निदेश , **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, □□□□** को हस्तान्तरित की जायेगी। विकास ख - खुनियांव के ग्राम पजोहा में राजकीय इण्टर का□□ □□□ □□ निर्माण एवं विकास खण्ड-बढनी के ग्राम करूआ में राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण □□ □□0□□0□0डी0 द्वारा प्रायोजना की मूल्यंकित धनराशि से ही 03 माह में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती □□□ अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेग । धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-मदों प ही किया जायेग □□□□, अल्पसंख्यक कल्या□, □0प्र0 □□□

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यदायी संस्था वे□□□□□, के मध्य □□ □□□ □□ □□0□0□0□ (मेमोरेण्डम□ □□ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य मदों पर □□□□ के मार्ग-निर्देशों तथा समय-02 पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन वि □□□□□

4- योजना की गाइड लाइन्स तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय इण्टर कालेजों □□ निर्माण हेतु निर्धारित मानकों सहित गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जायेगा।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, □□□□ सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत राजकीय इण्टर कालेजों के निर्माण पर एक बोर्ड का निर्माण किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, योजना की लागत, बजट का , कान्ट्रेक्टर का नाम व भौतिक लक्ष्य प्राप्त क□ने की तिथि का अंकन होगा। कार्य के पूर्णोपरान्त □□ पर स्थायी रूप से विवरण अंकित किया जायेग

7- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। राजकीय इण्टर कालेजों □□□र्माण की विशिष्टियाँ, □□□, भवन एवं उपकरण आदि की डिजाइन वही होगी जो केन्द्र/राज्य □□□□ □□ माध्यर्या□□ शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित है।

8- निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

9- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- □□□□न ग्राही (Grantee) द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक □□□□ खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण□, □0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे र□□□□ में जमा कराया जायेगा।

11- अवमुक्त धनराशि का दुरूपयोग होने की स्थिति में निदेशक, अल्पसंख्यक□ कल्याण□, □0प्र0 लखनऊ एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के अधिकारी उत्तरद□□□ होंगे।

12- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी □□ हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की -2 प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण□, □0प्र0 □□ उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त □□□□□, अल्पसंख्यक कल्याण□, □0प्र0 □□□□ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य □□□□□ शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

13- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखानुदान एवं तद्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से पूरित हो तथा पश्चातवर्ती अवधि □□□□□ आवश्यक धन व्यवस्था □र्ष 2014-15 □□ □□ □□-व्ययक एवं तद्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो □□□

http://shasanadesh.up.nic.in

14- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 □□ □ □-व्यय□ □□ □□□□□ संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्या□ □□ पूंजीगत परिव्यय- □ □□□□□□-02-समाज कल्या□-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय □ □□□□□□/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0109-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेण्ट प्ला□ □□ अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल □□□ इण्टर कालेजों व □□□ □□र्माण (□□0 75/□□0 25□□0+□□0)-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

15- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-11-746/□□-2014, दिनांक 06.06.2014 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राकेश कुमार मिश्र)
संयुक्त □□□□□

संख्या (1)/□□□□-1-2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- □□□□□□□□, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, □□□□□□□□

2- □□□□□□□□, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, □0प्र0 □□□□□

4- संयुक्त □□□□, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11□□□□□, पर्यावरण □□□, □□0□□0□0 काम्पलेक्स □□□□ □□□, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नग□□ राजकीय इण्टर कालेजों के निर्माण में निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

6- □□□□ □□□□, □□0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्या□ □□□□□ □□ □□0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

7- □□□□ □□□□, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख □□□□ □□□□□ के अवलोकनार्थ।

8- □□□□□□, माध्यमिक शिक्षा विभाग, ल□□□□

9- □□□□□, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, ल□□□** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नग□□ राजकीय इण्टर कालेजों □□□□र्माण का समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10- मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□□

11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।

12- वित्त (□ □-व्यय□) □□□□□-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 □□ 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्या□ □□□□□□□, □□□□ □□ □□ आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

http://shasanadesh.up.nic.in

□ज्ञा से,

(राकेश कुमार मिश्र)
संयुक्त □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in